

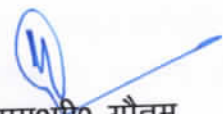
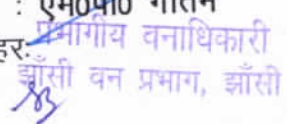
भाग — II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या **FP/UP/ROAD/117342/2020**

7. परियोजना/स्कीम का स्थान
- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
 - (ii) जिला
 - (iii) वन प्रभाग
 - (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
 - (v) वन की कानूनी स्थिति
 - (vi) हरियाली का घनत्व
 - (vii) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)।
सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0, एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0 मीटर भी संलग्न किए जाए
 - (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
 - (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
 - (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)
 - (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे ।
 - (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें ।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, जो जांचे गये विकल्पी के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है
- उ0प्र0 राज्य में SH 42 के राठ बाईपास, (जिला हमीरपुर) से गरौटा (जिला झांसी) तक 2 लाइन मिसिंग लिंक रोड के निर्माण में झांसी जनपद की 13.049 हे0 आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य एवं बाधित 2127 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु
 - उत्तर प्रदेश
 - झांसी
 - झांसी वन प्रभाग, झांसी
 - 13.049 है0
 - आरक्षित वनभूमि
 - 0.30
 - संलग्न है
 - भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
 - शून्य
 - प्रस्तावित वन भूमि, वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर का भाग नहीं है (प्रमाण पत्र संलग्न है)
 - नहीं है
 - नहीं है
 - प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है (प्रमाण पत्र संलग्न है)

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है - नहीं है
हॉ/नहीं यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा - संलग्न है
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेतर - संलग्न है
क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ - संलग्न है
अवकमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक - शीशम, नीम, सिरस, सागौन आदि
वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयक एजेन्सी, समय प्रजातियों रोपित की जायेगी।
अनुसूची लागत ढाँचा आदि - संलग्न है
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय - संलग्न है
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की - संलग्न है
उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः - संलग्न है
उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूँछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करे।
12. विभाग/जिला प्रोफाईल - 5054 वर्ग किमी0
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र - 33494.952 है0
(ii) जिले का वन क्षेत्र - 15 (पन्द्रह)
(iii) मामलों की सं0 सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र - क्षेत्रफल-189.31717 है0
(iv) 1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण - 98.099 है0
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि -
(ख) वनेतर भूमि पर -
(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति - 94.03 है0
(क) वन भूमि पर - 734.209 है0
(ख) वनेतर भूमि पर -
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश - प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है

तिथि - 2-10-2022
स्थान - झांसी

हस्ताक्षर : 
नाम : एम.पी. गौतम
सरकारी मोहर : 
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी